

न्यायालय भूमि सुधार उप- समाहर्ता, बसिया (गुमला)।

अनुमति वाद संख्या 43/2025-26

अनुसूची -14 फॉर्म सं0- 563

आदेश की कं0सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी												
24/10/25	आवेदक असीम लकड़ा, पिता अलफोंस लकड़ा उम्र 38 वर्ष ग्राम कलिगा, थाना – बसिया, जिला – गुमला (झारखण्ड) ने निम्नांकित विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित्त छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमिति वाद प्रारम्भ किया गया। भूमि का विवरणी <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>राजस्व ग्राम</th><th>थाना सं0</th><th>खाता सं0</th><th>प्लॉट सं0</th><th>रकबा</th><th>जमीन किस्म</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>कलिगा</td><td>141</td><td>39</td><td>1554</td><td>0.34 एकड़ में से 0.04 एकड़</td><td></td></tr> </tbody> </table> कुल रकबा 0.04 (चार डिसमील) चौहदी :- उत्तर में – तनेश उरॉव बगैरह, दक्षिण में – सुजीत लकड़ा, पुरब में – सिमोन लकड़ा, पश्चिम में – SH रॉची सिमडेगा मुख्य सड़क। जमीन विक्रेता का विवरणी असीम लकड़ा, पिता अलफोंस लकड़ा उम्र 38 वर्ष ग्राम कलिगा, थाना – बसिया, जिला-गुमला। जमीन क्रेता का विवरणी चन्द्र किशोर खड़िया पिता कानहु खड़िया, ग्राम सिरिबीरा, थाना – बसिया, जिला-गुमला। आवेदित भूमि को आवेदक प्रस्तावित क्रेता चन्द्र किशोर खड़िया पिता कानहु खड़िया, ग्राम सिरिबीरा, थाना – बसिया, जिला- गुमला से राशि 74,000 (चौहतर हजार) रुपये पर बिक्री करने का तय हुआ है। आवेदक को मकान बनाने/इलाज हेतु/हल बैल खरीदगी हेतु रुपये की आवश्यकता है के कारण ही आवेदक भूमि की बिक्री कर रहे है।	राजस्व ग्राम	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	जमीन किस्म	कलिगा	141	39	1554	0.34 एकड़ में से 0.04 एकड़		
राजस्व ग्राम	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	जमीन किस्म									
कलिगा	141	39	1554	0.34 एकड़ में से 0.04 एकड़										



(Handwritten signature)

अंचलाधिकारी, बसिया को आवेदन भेजते हुए जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आम ईश्वर निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी, बसिया के कार्यालय के पत्रांक 617/रा0 दिनांक 21/10/2025 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूमि बन्दोबस्ती, भू-हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू-अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनो पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति खड़िया एवं उरॉव के हैं साथ ही एक ही थाना के निवासी हैं।

अतः अंचल अधिकारी, बसिया के जॉच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक असीम लकड़ा, पिता अलफोंस लकड़ा उम्र 38 वर्ष ग्राम कलिगा, थाना - बसिया जिला-गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि 74,000 (चौहतर हजार) रुपये अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनो में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतत् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावी नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित।

24.10.25
भूमि सुधार उप समहर्ता
बसिया (गुमला)



24.10.25
भूमि सुधार उप -समाहर्ता
बसिया (गुमला)